राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स : 0141–2222403, 2222469 ईमेल : dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट : www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 55( )अभि./सीई/डीएलबी/2018/बजट घोषणा/17872-885 दिनांक : 13/03/18

1. आयुक्त,
नगर निगम,
जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर,
उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर।

2. उप निदेशक (क्षेत्रीय),
स्थानीय निकाय विभाग,
समस्त।

विषय : माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति बाबत।

प्रसंग : विभाग का पूर्व समसंख्यक पत्रांक : 12445–669 दिनांक 26.02.2018 के क्रम में।

———

माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार द्वारा बजट वर्ष 2018–19 में घोषणा संख्या 160 में सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में सड़कों एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के सुदृढीकरण के अन्तर्गत सड़को–नालियों की Maintanance एवं Renewal सहित अम्बेडकर भवनों के निर्माण, श्मशान एवं कब्रिस्तान के विकास तथा सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण कार्य राशि रूपये 1000.00 करोड़ के प्रावधान की घोषणा की गई है।

उक्त बजट घोषणा की क्रियान्विति के सम्बन्ध में विभागीय प्रासंगिक पत्र द्वारा अम्बेडकर भवनों के निर्माण, श्मशान एवं कब्रिस्तान के विकास तथा सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण कार्य हेतु नगर निकाय के स्वयं के स्वामित्व की भूमि का चिन्हीकरण करते हुये साईट प्लान, ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत तकमीना (Detailed Estimate) निर्धारित समय में तैयार करने के लिये विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं।

इसी क्रम में लेख है कि उपरोक्तानुसार नगर निकायों के स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये उक्त निर्माण कार्यो की दिनांक 25.03.2018 तक निविदायें आमंत्रित करने हेतु निविदा सूचना प्रकाशित करने की कार्यवाही की जावे।

अतः अपने अधीनस्थ नगर निकायों में उक्तानुसार कार्यवाही करते हुये, की गई कार्यवाही/कार्ययोजना से विभाग को ईमेल dlbrajasthan@gmail.com व cedlbjp@gmail.com पर अवगत करवाया जावे। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव
पवन अरोड़ा
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

C:\Users\com\Desktop\Budget 2018\Letters.docx

Scanned by CamScanner

क्रमांक : एफ 55( )अभि./सीई/डीएलबी/2018/बजट घोषणा/17886-95 दिनांक : 13/03/18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
03. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, समस्त राजस्थान।
04. मुख्य अभियन्ता/मुख्य लेखाधिकारी/परियोजना निदेशक/अतिरिक्त निदेशक/उपनिद्रेशक (सांख्यिकी), निदेशालय।
05. प्रभारी, स्मार्टराज सेन्टर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
06. सुरक्षित पत्रावली।

पवन अरोड़ा
निदेशक एवं संयुक्त स[illegible]
स्वायत्त शासन [illegible]

Scanned by CamScanner